न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 11/2014/टोंक (2014/00002)

रतन सिंह पुत्र श्री फौज सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम कंवरावास, तहसील टोडारायसिंह, थाना टोडारायसिंह, जिला टोंक।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक।

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट टोंक आदेश क्रमांक 9161/2014 दिंनाक 27.08.2014

———

उपस्थितः 1—सर्व श्री सुधीर सिंह ,देवेन्द्र सिंह शेखावत लोकेश कुमार अभिभाषक अपीलान्ट
2—श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 9—3—2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 235 /डीएम/जीएसपी/88 (पंजाब) जो श्री रतन सिंह पुत्र श्री फौज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कंवरावास तहसील टोडारायसिंह थाना टोडारायसिंह आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट गुरूदासपुरा (पंजाब) द्वारा जारी जारी किया गया था। अपीलांट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट टोंक के समक्ष उक्त लाईसेंस को नवीनीकरण करने हेतु प्रेषित किया। जिला मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा पुलिस अधीक्षक, टोंक को जांच हेतु लिखा गया। पुलिस अधीक्षक टोंक ने अपने पत्र क्रमांक 88 दिनांक 6—3—2012 के द्वारा अपीलांट पर आरोप लगाकर जांच रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट टोक को प्रेषित कर दी। जिला पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या 412 दिनांक 13—8—2013 द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक में प्रस्तुत कर अपीलांट रतन सिंह पुत्र श्री फौजा सिंह के विरूद्व आपराधिक रिकॉर्ड होना बताया जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने

अपने आदेश कग्रांक 9161 दिनांक 27–8–2014 को अपीलांट का शस्त्र नवीनीकरण नहीं करते हुए तत्काल प्रभाव से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 55/93 निरस्त करते हुए शस्त्र अनुज्ञर पत्र में दर्ज शस्त्र को तत्काल थानाधिकारी, पुलिस थाना टोडारायसिंह को जब्त करने के आदेश प्रदान कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर सम्बन्धित अभिलेख तलब किया गया । दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा जिन मुकदमों का विवरण दिया गया है उनर समस्त प्रकरणों में अपीलांट को बरी किया जा चुका है। पुलिस द्वारा अपीलांट के विरूद्ध जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें पुलिस द्वारा पूर्ण रूप से जांच नहीं किये जाने से विधिविरूद्ध है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलांट के विरूद्ध लगाये गये प्रकरणों में मुकदमा नम्बर 126/91 जिसमें एफ.आर. नम्बर 58/21.8.91 दिनांक 10.10.91 को न्यायालय में पेश किया गया जिसके सन्दर्भ में अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि अपीलांट पर मुकदमा नम्बर 126/1991 दिनांक 26–8–93 परिवादिया एवं उसके अभिभाषक की मौजूदगी में मुकदमा खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही अन्य मुकदमा नम्बर 99/24–5–1999 को धारा 332, 353, 85 भा.द.सं. में दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 165/27–7–99 दिनांक 29–10–1999 को न्यायालय में पेश किया गया। उक्त सन्दर्भ में कथन प्रतिउत्तर है कि अपीलांट पर उक्त मुकदमा दर्ज किया गा था जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 15–9–1993 को बहादुर सिंह पुत्र मोहन सिंह, रतन सिंह पुत्र फौजा सिंह, संतकुमार पुत्र श्योकरण आदि मुलजिमों को धारा 332, 353 भा.द.स. के आरोपों से दोषमुक्त करार किया गया।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट के विरूद्ध अन्य मुकदमा नम्बर 252/99 दिनांक 10–7–1999 को धारा 147, 452, 323, भा.द.स. व 3(1)(10) एस. सी./एस.टी. एक्ट में दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 312/99 दिनांक 30.12.1999 को न्यायालय में पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा एस.सी.एस..टी. कोर्ट से अपीलांट को दिनांक 21–7–2001 को बरी किया गया। अपीलांट एक भूतपूर्व सैनिक है, जिसकी आजीविका का कोई साधन नहीं है। इसलिए अपीलांट इस शस्त्र द्वारा बैंकों में गार्ड की नौकरी करके अपनी आजीविका चलाता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा दिये गये आदेश को अपास्त कर अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र /लाईसेंस नवीनीकरण करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा अपीलांट रतन सिंह के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 235 बाबत जिला पुलिस अधीक्षक टोंक से रिपोर्ट चाहे जाने पर उनकी रिपोर्ट क्रमांक 412 दिनांक 13–8–2013 से शस्त्र अनुज्ञा पत्र धारक के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड दर्ज होने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र को दिनांक 31–12–2011 के पश्चात आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं करते हुए तत्काल प्रभाव से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 55/93 निरस्त किया गया है, जो विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर टोंक द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक से अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण बाबत पत्र क्रमांक 7964 दिनांक 6–6–2013 द्वारा रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा अपने पत्र क्रमाक 412 दिनांक 13–8–2013 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 126/91 जिसमें एफ.आर. नम्बर 58/21.8.91 दिनांक 10.10.91 को न्यायालय में पेश किया गया जिसके सन्दर्भ में अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि अपीलांट पर मुकदमा नम्बर 126/1991 दिनांक 26–8–93 परिवादिया एवं उसके अभिभाषक की मौजूदगी में मुकदमा खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही अन्य मुकदमा नम्बर 99/24–5–1999 को धारा 332, 353, 85 भा.द.सं. में दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 165/27–7–99 दिनांक 29–10–1999 को न्यायालय में पेश किया गया। उक्त मुकदमों में अपीलांट को दोषमुक्त किया जा चुका है। अपीलांट के विरूद्ध अन्य मुकदमा नम्बर 252/99 दिनांक 10–7–1999 को धारा 147, 452, 323, भा.द.स. व 3(1)(10) एस.सी./एस. टी. एक्ट में दर्ज होकर चार्जशीट नम्बर 312/99 दिनांक 30.12.1999 को न्यायालय में पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा एस.सी.एस..टी. कोर्ट से अपीलांट को दिनांक 21–7–2001 को बरी किया गया। फिर भी जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। प्रार्थी ने बहस के दौरान यह कथन किया कि वह एक भूतपूर्व सैनिक है। जिसकी आजीविका का कोई साधन नहीं है तथा वह अपने इस शस्त्र के जरिये बैंकों में गार्ड की नौकरी के जरिये अपनी आजीविका चलाता है। बिना शस्त्र के बैंकों में सुरक्षा गार्ड की नौकरी किया जाना संभव नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट के विरूद्ध जो मुकदमें दर्ज हुए थे वे सभी लगभग 20 वर्ष पूर्व दर्ज हुए थे जिनमें अपीलांट को माननीय न्यायालयों द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है। वर्तमान में भी अपीलांट की गतिविधियां आपराधिक किस्म की है इस बाबत पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं

किया है। तहसीलदार, टोडारायसिंह ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16–3–2012 में उल्लेखित किया है कि अपीलांट रतन सिंह निवासी शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी, कंवरावास तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक का निवासी है। तहसीलदार, टोंक द्वारा भी अपीलांट के आपराधिक किस्म की प्रवृति का होने का कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के अभाव में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अध्ययन किये बिना एवं अपीलांट को सुने बिना आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध सभी तथ्यों की एवं राज्य सरकार के परिपत्र/आदेशों के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत पुनः जांच किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमें जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य प्रतीत होता है, लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर टोंक) का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 9161/2014 दिनांक 27–8–2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उक्त विवेचन के आलोक में दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन कर एवं अपीलांट की पुनः सुनवाई कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

यह निर्णय आज दिनांक 9–3–2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर